

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा परीक्षा-2020 में हायक आचार्य अंग्रेजी के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एव दिनांक
1	KUMAR CHETANYA JOSHI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOVINDPURA (219195)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-03) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1671 दिनांक 01.12.2022
2	SANJAY GOYAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HINDAUN CITY (212557)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-03) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1671 दिनांक 01.12.2022
3	JYOTI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOOMROLI (216203)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-03) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1671 दिनांक 01.12.2022
4	BHASKAR GOVIND MAITREYA MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NOKHARA (220798)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-03) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1671 दिनांक 01.12.2022

नियमानुसार परीक्षाकाल पूर्ण कर विभाग छोड़ने वाले कार्मिकों का वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित ना होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/अन्यत्र विभाग कार्यमुक्ति/2022 दिनांक:- 12/12/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव पालनार्थ भेजते

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान-जयपुर।
3. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से विभाग के प्रति किसी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने पश्चात ही कार्यमुक्त किया जाये।
7. संबंधित कार्मिक.....
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग वेबसाईड पर प्रकाशनार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एबी/ओएसी/शालादर्पण प्रभारी संस्थापन सी कार्यालय हाजा
10. रक्षित/निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर